तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज मु.नं. 03/2023 बलवन्तसिंह बनाम राज सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की रो से जारी हुए
18/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/9/24 को पेश हो। ish	
25/9/24	प्रत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 23/10/24 को पेश हो।	
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 28/10/24 को पेश हो। Rahul	
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभि० प्रार्थी ने रिकार्ड पेश करने हेतु समय चाहा है। पत्रावली वास्ते पेश करने रिकार्ड दिनांक 6/11/24 को पेश हो। Rahul	
6/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/11/24 को पेश हो। Rahul	
12/11/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 13/11/24 को पेश हो।	
13/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निस्तारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज बदनसिंह बनाम राज. सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश होकर बाद जाबता दाखिल दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 03 / 2023

1. बदसिंह पुत्र सोनपाल जाति जाटव निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन।

....................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः—13.11.2024

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1260 / 1176 / 0.05, 1241 / 1175 / 0.12है0 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन जिला में स्थित है। उक्त विवादित आराजी की प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.06.2022 को पैमाइश करवाई गई थी तथा मुताबिक पैमाइश के प्रार्थी उक्त आराजी पर निरन्तर शान्तिपूर्वक कास्त करता चला आ रहा है लेकिन पडौसी खातेदार प्रतिवर्ष धीरे—धीरे करके डौल मेडों को तोडते रहते है एवं निशानात को बिगाडते है। जब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश उक्त आराजी की पत्थरगढी कराये जाने हेतू तहसीलदार उच्चैन के पास पहूंचा तो तहसीलदार उच्चैन ने सक्षम न्यायालय से पत्थरगढी के आदेश लाने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 03.07.2024 को जबाव पेश कर निवेदन किया है कि 1260 / 1176 / 0.05, 1241 / 1175 / 0.12है0 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन में प्रार्थी का मकान वना हुआ है अतः उपरोक्त खसरा नम्बर की पैमाइश कर पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की विवादित आराजी की पूर्व में तहसीलदार उच्चैन के

Rahul
13/11/24

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

द्वारा पैमाइश की जा चुकी है अतः दिनांक 16.06.2022 को की गई पैमाईश के आधार पर पत्थरगढी करवाये जाने हेतू निवेदन किया है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार विवादित खसरा नम्बर में मकान बना होने के कारण पैमाइश किया जाकर पत्थरगढी किया जाना सम्भब नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul 13/11/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)